भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

03AA 77598

(1) लेख्यकारी का नाम एवं पता:-

श्रीमति राजवन्ती देवी जौजे श्री विश्वनाथ तिवारी स्व0. जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम एवं पत्रालय हरिनामाड, थाना चैनपुर जिला पलामू पेशा गृह कार्य, राष्ट्रीयता भारतीय - - - विक्रेता ।

(2) लेख्यधारी का नाम एवं पता:-

श्री ध्रुप नारायण पाण्डेय वल्द श्री रीतन पाण्डेय

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

(3) लेख्य प्रकार :- केवाला बयला कलामी
विक्रय पत्र ।

(4) जरेसम्मन मो0- 4,50000/-(साढे चार लाख रू0)
बाजारमुल्य:-मो0- 4,50000/-(साढे चार लाख रू0)

(5) संपति:- मवाजी $0.07\frac{1}{2}$ (साढे सात डी0) जमीन टॉड आवासीय जो हिन्दी नाप में दो कट्ठा होता है। बाके मौजे बारालोटा थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू हकियत रैयती खरीदगी सिर दखली जिसका तफसील नीचे लिखे अनुसार है, सब निबंधन एवं जिला निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू, बमौजीब चौहदी के बेंची जो इस प्रकार है :-

मौजा	थानानं0	तौजीनं0	खेवट नं0	हल्कानं0
बारालोटा	198	91बी.	1	आवासीय

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहदी
102	147	$0.07\frac{1}{2}$	उ0-कन्हाई पाण्डेय द0-त्रिवेणी तिवारी पु0-नाहर प0-कन्हाई पाण्डेय
(एक सौ दो)	(एक सौ सैतालिस)		

रजवन्ती देवी बा0 प्रेम चन्द तिवारी
19/11/07

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

सालानामाल:- मो0-2/- रूपया अलावे शेष ।

नाम मालिक:- झारखण्ड सरकार बजरीए अंचलाधिकारी
मेदिनीनगर, पलामू ।

विदित हो कि उक्त विक्रय भूमि बजरीए निबंधन केवाला सं0-7463, दिनांक 23·7·86 ई0 के द्वारा श्री कन्हाई पाण्डेय वल्द स्वर्गीय राम नरेश पाण्डेय निवासी ग्राम बारालोटा थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू से प्राप्त है, तथा डिमांड अंचल कार्यालय के होल्डिंग नं0- 1904, के द्वारा मांग पंजी-टू, में विक्रेता श्रीमति राजवन्ती देवी के नाम से चल रहा है । तथा रसीद कटती है । उक्त विक्रय भूमि पर किसी प्रकार का ऋण भार वो वारदेन नही है गरज के हर हालत में साफ तथा सुरक्षित है ।

चूंके विक्रेता को अपने घर की तरक्की तथा दीगर भूमि अपने लहाव की खरीद करनी है जिसके लिए रूपये का आवश्यकता पड़ी, जो फिलहाल वेला विक्री किये जमीन के अन्य दीगर श्रोतों से रूपये का सविल वो प्रबंध नही हो सकता है । अत: उक्त भूमि जो विक्रेता के द्वारा खरीदी गयी है, को विक्री करने का चर्चा- एलान एवं पैगाम किया जिसे क्रेता सुने तथा आज के बाजार मुल्य के अनुरूप दाम देकर

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उससे विक्रेता समस्त परिवार संतुष्ट एवं खुश है ,आज तक जो हक एवं अधिकार विक्रेता श्रीमति राजवन्ती देवी को प्राप्त था ,कुल हक एवं अधिकार के साथ क्रेता श्री ध्रुव नारायण पाण्डेय को हस्तांतरित कर अपने जगह पर कायम वो काबिज दाखिल गरदाना तथा कब्जा दखल दे दिया ।

चाहिए कि क्रेता खुद मय उत्तराधिकारी उक्त भूमि के दखल कब्जे में रहकर अपने मन-मोताबिक ,मकान-दुकान बनावें स्वयं रहें या किराया में लगावें जिस कदर चाहे उपयोग करें । तथा बजरीए दाखिल खारीज के डिमाण्ड खोलवाकर भूराजस्व दिया करें इसमें हम विक्रेता मय उत्तराधिकारी वो स्थानापन्न को किसी प्रकारका कोई हक दावी या अधिकार वास्ता वो सरोकार नही रहा और न भविष्य में होगा । और न हो सकता है । जरेसम्मन का रकम अग्रिम निबंधन के नगद एकमुस्त चुकता वसुल पा लिए है जो रसीद निबंधन कार्यालय से केवाला निकासी के लिए मिलेगा बेला उजुर क्रेता को हवाले कर देगें जिसके द्वारा मूल केवाला निकाल कर क्रेता अपने पास रख लेगें । अतः राजी खुशी से बेला दाव नाजायज किसी प्रकार यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे वो समय पर काम दें । विक्रय भूमि लाल रंग से नक्शे में दर्शाया

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज और इसकी की गयी कॉपी दोनो एक दूसरे का हुबहु नकल है ।

टंकक- (विजय कुमार दूबे) मेदिनीनगर, पलामू ।

विजय कुमार दूबे 19/11/07

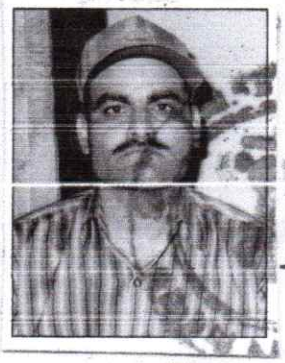

ध्रुव नारायण पाण्डेय
19-11-07

शकुन्तली देवी
19/11/07

प्रमाणित किया जाता है कि केवाला में लगाया गया सभी व्यक्तियों का फोटो एवं बाये हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है। सही मदन पाण्डेय अधिवक्ता सिविल मेदिनीनगर लाइसेंस नम्बर 43/03 दिनांक 19-11-2007 ई०

कातीब- मदन पाण्डेय अधिवक्ता सिविल मेदिनीनगर केवाला का मजमून पढ कर दोनो पक्षो को सुना दिया दिनांक 19-11-2007 ई०